

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदागत नियोजन हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू संबंधी सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक 7313 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा निर्गत पत्र में अंकित पात्रता शर्तों के आलोक में निदेशानुसार मुंगेर जिलान्तर्गत Medical officer- APHC के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु Online application के आधार पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी अभ्यर्थी का वॉक-इन-इन्टरव्यू प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय मुंगेर में पूर्वाह्न 11.00 बजे से आयोजित किया जा रहा है।

अतः आदर्श रोस्टर विन्दु के आधार पर निम्नलिखित शेष कोटिवार पद रिक्त के विरुद्ध संविदागत नियोजन हेतु पात्रताधारी अभ्यर्थी को वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है।

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय
Medical Officer (APHC)	<ul style="list-style-type: none">• Minimum MBBS Degree from recognized Institution/University(with one year essential internship)• The above qualification must be registered with Bihar council of Medical registration or medical council of India/national medical commission till cut off date.	65,000/- (एक मुश्त प्रतिमाह)

आयु सीमा	आदर्श रोस्टर विन्दु के आधार पर शेष कोटिवार पद रिक्त	अभ्युक्ति
अधिकतम उम्रसीमा 55 वर्ष (सभी कोटि के लिए)	MBC(F) - 01 SC - 01 MBC - 01 EWS - 01 Total - 04	आयु एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut of Date संबंधित वॉक-इन-इन्टरव्यू के तिथि से मान्य होगी।

इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित मापदंड एवं अहर्ता के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के बेवसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर ऑनलाईन Doctor recruitment Management system के लिंक पर क्लिक कर Online registration कर इंगित application form में वांछित सूचना को भरकर जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार एवं तृतीय सोमवार को आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू में Online generated application letter application form, दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटा, सभी मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे।

केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। उक्त संबंधित नियोजन हेतु पात्रता शर्त एवं अन्य विहित प्रक्रिया/दिशा-निदेश राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 7313 दिनांक 12.01.2021 के आलोक में कारवाई की जायेगी जिसे NIC के बेवसाईट www.munger.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मुंगेर

Hand
30/1/21